सं. 2/8/2013-ई.-III (एफबीपीई)

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

*****

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक अधीनस्थ कार्यालय फरक्का बैराज परियोजना, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल-742212 में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर पे- बैंड-3 (15600-39100/-रूपये + ग्रेड वेतन 6600/- रूपये) में वरिष्ठ प्रशासिनक अधिकारी का एक पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

**2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व**

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कैट/न्यायालयी मामलों, एफबीपी अस्पताल एवं एफबीपी उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टॉफ सहित फरक्का बैराज परियोजना के पूरे स्टॉफ के स्थानांतरण एवं तैनाती के साथ-साथ सभी स्थापना संबंधी मामलों के कुशल निष्पादन के लिए महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना के प्रति उत्तरदायी होगा । वह फरक्का बैराज परियोजना के कर्मचारी के प्रशासन एवं कल्याण से संबंधित मामलों के लिए महाप्रबंधक के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा ।

**3. पात्रता मानदंड**

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सांविधिक संगठनों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी:

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हो; अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद पे बैंड-2, 9300-34800/- रूपये के वेतनमान और 5400/- रूपये के ग्रेड वेतन अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा दी हो; अथवा

(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद पे बैंड-2, 9300-34800/- रूपये के वेतनमान और 4600/- रूपये के ग्रेड वेतन अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर 7 वर्ष की सेवा दी हो; और

(ख) प्रशासन अथवा स्थापना अथवा लेखा मामलों में 5 वर्ष का अनुभव हो :

**टिप्पणी 1 :** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के पात्र हैं उनपर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा ।

**टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्र सेवा की गणना की उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू किए जाने की तारीख से पहले नियमित आधार पर दी गई सेवा को संगत ग्रेड वेतन अथवा उपर्युक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में दी गई सेवा माना जाएगा, केवल उन मामलों को छोडकर जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों को एक ही ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक ग्रेड में मिला दिया गया हो और इन मामलों में यह लाभ केवल उन पदों के लिए लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान किसी स्तरोन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

**4. प्रतिनियुक्ति की अवधि**

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सामान्यतया केन्द्र सरकार के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग ने इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**5. आयु**

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी ।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे ।

8. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा ।

9. प्रारूप-I (6 प्रतियां) और प्रारूप-II में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन यह परिपत्र जारी होने अथवा रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से 45 दिन के अंदर श्री रामस्वरूप, निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, छठा तल, कमरा सं. 623, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाना चाहिए । सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी । सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए । विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे के बिना किए गए आवेदन रद्द किए जा सकते हैं ।

10. आवेदन का प्रारूप मंत्रालय की वेब साइट- **htpp://wrmin.nic.in** से डाइनलोड भी किया जा सकता है ।

(रामस्वरूप)
निदेशक (ई-III)

**प्रोफार्मा-I**

1. अधिकारी का नाम (सर्विस बुक के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में) :

2. जन्मतिथि (ईसवी सन में) :

3. सेवा में पहली नियुक्ति की तारीख :

4. केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त/ सांविधिक संगठनों इत्यादि के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख :

5. वर्तमान पता :

(i) कार्यालय :

दूरभाष सं. (कार्यालय)
फैक्स सं.

(ii) आवास :

दूरभाष सं. (आवास)
फैक्स सं. (आवास)

6. शैक्षणिक अर्हताएं :

7. वर्तमान में धारित पद और जिस तारीख से और जहां पद धारित है :

(i) वर्तमान वेतन :
(ii) वर्तमान वेतनमान :
(iii) नियुक्ति की प्रकृति अर्थात तदर्थ :

अथवा नियमित अथवा प्रतिनियुक्ति पर

(iv) यदि प्रतिनियुक्ति पर हो तो मूल विभाग का नाम और वेतन एवं वेतनमान तथा जिस तारीख से उस पद पर कार्यरत है उसके साथ धारित पद का उल्लेख करें। :

8. संपूर्ण सेवा का ब्यौरा - कालक्रमानुसार धारित विभिन्न पदों का ब्यौरा । यदि यहां दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षर से यथा प्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें :

| कार्यालय/संस्था/ संगठन | धारित पद | निम्न तारीख से | निम्न तारीख तक | वेतनमान (ग्रेड वेतन के साथ) | किए जाने वाले कार्य की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

9. विषय, क्षेत्र अथवा चयनित क्षेत्र में अनुभव :

10. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला जिसका उल्लेख किया जाए :

11. मैं एतद द्वारा यह पुष्टि करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

12. मैं एतद द्वारा यह भी पुष्टि करता हूं कि अवेदित पद के लिए मेरा चयन होने की स्थिति में पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर मैं पदभार ग्रहण करने से इंकार नहीं करूंगा और अपेक्षानुसार एक माह के अंदर पदभार ग्रहण कर लूंगा ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रोफार्मा-।।

**(परिदाय/प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा भरा जाना है)**

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री................................................... द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की व्यक्ति के सेवावृत्त (सर्विस रिकार्ड) के अनुसार जांच कर ली गई और सही पायी गई ।

2. श्री/सुश्री........................................................... के विरूद्ध न तो कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है और न ही अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया है ।

3. उनके चयन होने की स्थिति में, श्री/सुश्री............................................................. को फरक्का बैराज परियोजना में अपना कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अंदर इस कार्यालय/संगठन/विभाग आदि में उनके कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ।

4. पिछले पांच वर्षों के उनके एसीआर/एपीएआर डोजियर (मूल प्रति) (अथवा अवर सचिव या उससे ऊपर के श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित छाया प्रतियां) एक "सील बंद लिफाफे" में संलग्न है । "कोई दंड नहीं प्रमाणपत्र", "सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र" और "सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र" भी एसीआर/एपीएआर डोजियर के साथ संलग्न हैं ।

हस्ताक्षर
(परिदाय/प्रायोजक
प्राधिकरण के अधिकारी का
नाम और पदनाम)

कार्यालय का नाम
संगठन/मंत्रालय/विभाग आदि
मोहर के साथ
दूरभाष सं. :
फैक्स सं. :